



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 2018/आषाढ़ 29, 1940

No. 246]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 2018/ASHADHA 29, 1940

वस्त्र मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2018

**फा. सं. 7/1/2014-पटसन.**—भारत सरकार ने निम्नलिखित अनुसार पटसन सलाहकार बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है:-

i.	सचिव (वस्त्र)	अध्यक्ष
ii.	संयुक्त सचिव, पटसन, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
iii.	पटसन आयुक्त, कोलकाता	सदस्य सचिव
iv.	कृषि आयुक्त, कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली	सदस्य
v.	निदेशक, पटसन विकास निदेशालय, कोलकाता	सदस्य
vi.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय पटसन निगम लि. (जेसीआई), कोलकाता	सदस्य
vii.	निदेशक, केंद्रीय पटसन एवं संबद्ध फाइबर अनुसंधान संस्थान (सीआरआईजेएफ), कृषि मंत्रालय, कोलकाता	सदस्य
viii.	अध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल संघ (आईजेएमए), कोलकाता	सदस्य
ix.	अध्यक्ष, पटसन गांठ निर्माता संघ, कोलकाता	सदस्य

x.	आयुक्त-सह-सचिव, (हैंडलूम, वस्त्र और हस्तशिल्प विभाग), ओड़ीशा सरकार	सदस्य
xi.	प्रमुख सचिव, उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग, त्रिपुरा सरकार	सदस्य
xii.	सचिव (हैंडलूम और वस्त्र), उद्योग और वाणिज्य विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
xiii.	असम सरकार का एक आधिकारिक प्रतिनिधि (नामित किया जाना है)	सदस्य
xiv.	पश्चिम बंगाल सरकार का एक आधिकारिक प्रतिनिधि (नामित किया जाना है)	सदस्य
xv.	बिहार सरकार का एक आधिकारिक प्रतिनिधि (नामित किया जाना है)	सदस्य
xvi.	मेघालय सरकार का एक आधिकारिक प्रतिनिधि (नामित किया जाना है)	सदस्य

2. बोर्ड सामान्यतया पटसन एवं मेस्टा के उत्पादन अनुमानों सहित पटसन एवं पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले पटसन संबंधी मामलों पर सरकार को परामर्श देगा।
3. सदस्य, बोर्ड में इस संकल्प के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगे।

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF TEXTILES  
RESOLUTION**

New Delhi, the 19th July, 2018

**F. No. 7/1/2014-Jute.**—The Government of India has decided to reconstitute the Jute Advisory Board as per the following composition:-

(i)	Secretary (Textiles)	-	Chairperson
(ii)	Joint Secretary, dealing with Jute, M/o Textiles, New Delhi	-	Member
(iii)	Jute Commissioner, Kolkata	-	Member Secretary
(iv)	Agriculture Commissioner, D/o Agriculture, Co-operation & Farmers' Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi.	-	Member
(v)	Director, Directorate of Jute Development, Kolkata	-	Member
(vi)	Chairman & Managing Director, Jute Corporation of India Ltd.(JCI), Kolkata	-	Member
(vii)	Director, Central Research Institute for Jute & Allied Fibres, (CRIJAF) Ministry of Agriculture, Kolkata	-	Member
(viii)	Chairman, Indian Jute Mills Association (IJMA), Kolkata	-	Member
(ix)	President, Jute Balers Association, Kolkata	-	Member

(x)	Commissioner-cum-Secretary (Handlooms, Textiles & Handicrafts Department), Govt. of Odisha	-	Member
(xi)	Principal Secretary, D/o Industry, Commerce & Enterprises, Govt. of West Bengal	-	Member
(xii)	Secretary to Government (Handlooms & Textiles), Industries & Commerce Department, Govt. of Andhra Pradesh	-	Member
(xiii)	One official representative of Govt. of Assam (to be nominated)	-	Member
(xiv)	One official representative of Govt. of Tripura (to be nominated)	-	Member
(xv)	One official representative of Govt. of Bihar (to be nominated)	-	Member
(xvi)	One official representative of Govt. of Meghalaya (to be nominated)	-	Member

2. The Board will advise the Government generally on matters pertaining to jute falling within the purview of the Jute and Jute Textile Control Order, 2016 including production estimates of Jute and Mesta.

3. The members will serve on the Board for a period of two years from the date of publication of this Resolution in the Gazette of India.

A. MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.